तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को रहन बैय करने व प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त से बैदखल करने पर उतारू है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब होते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 मेघनाथ का 1/3 हिस्सा अलग दर्ज है लेकिन प्रार्थी ने झूठे तथ्य पेश कर समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 को अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को रहन बैय करने का पूर्ण अधिकार अधिकार है लेकिन माननीय न्यायालय के स्थगन से अप्रार्थीगण को कृषि भूमि पर राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता व अन्य कार्य में परेशानी होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व अप्रार्थीगण के जबाब आदि से जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक कृषि भूमि है परन्तु प्रार्थी के हक हिस्सा का निर्धारण अप्रार्थी सं. 1 के हिस्सा की भूमि में से ही होना है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 व 3 की कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक नहीं है। वर्तमान में भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज है। इसलिये अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हिस्सा की भूमि पर स्थगन रहने से अप्रार्थी सं. 2 व 3 के खातेदारी अधिकार प्रभावित होते है। अतः उपरोक्त विवेचन आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2022 अप्रार्थी सं. 1 के हिस्सा पर ताफैसला वाद कनफर्म की जाती है तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हिस्सा भूमि से निरस्त की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.09 12:30:03 IST
Reason: SelfAttested